

**राजस्थान सरकार**  
**सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग**

क्रमांक प. 22 (1) सा.प्र./4/2004

जयपुर, दिनांक 4/6/15

मुख्य अभियन्ता (भवन)  
सार्वजनिक निर्माण विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- वर्ष 2015-16 हेतु सामान्य प्रशासनिक भवन (गैर आवासीय) के वार्षिक रख रखाव, मरम्मत आदि हेतु राशि का आवंटन।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक एफ. 56 (Gen. 115) Sec.II/2015-16/D-92 दिनांक 14.05.2015 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि वर्ष 2015-16 के लिए सामान्य प्रशासनिक भवनों (गैर आवासीय) हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को विभिन्न सिविल एवं विद्युत संबंधी मरम्मत/संधारण कार्यों के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के मद में उपलब्ध 147.72 लाख राशि का आवंटन भवनवार प्राथमिकता के आधार पर निम्नानुसार उल्लिखित शर्तों के अधीन किया जाता है:-

सं.	विश्राम भवन	राशि लाखों में
1	राजस्थान हाउस, नई दिल्ली	10
2	जोधपुर हाउस, नई दिल्ली	3
3	अजमेर	5
4	अलवर	5
5	बांसवाड़ा	3
6	बारां	2
7	बाड़मेर	3
8	भरतपुर	3
9	भीलवाड़ा	3
10	बीकानेर	5
11	बून्दी	2
12	चित्तौड़गढ़	2.72
13	चूरू	2
14	डूंगरपुर	2
15	दौसा	3
16	धौलपुर	3
17	श्रीगंगानगर	3
18	हनुमानगढ़	2
19	जयपुर	10
20	जैसलमेर	5
21	जालौर	3
22	झालावाड़	3
23	झुझुनू	3
24	जोधपुर	5
25	कोटा	5
26	नागौर	3
27	पाली	3
28	सवाई माधोपुर	5
29	सिरोही	3
30	सीकर	3
31	टोंक	3
32	उदयपुर	5
33	राजसमंद	3
34	करौली	3
35	ओल्ड ट्रांजिट होस्टल, जयपुर	4
36	न्यू ट्रांजिट होस्टल, जयपुर	4
37	सामुदायिक केन्द्र गांधीनगर	3
38	माउण्ट आबू	5
39	मिनी सचिवालय जयपुर	5
	<b>कुल योग</b>	<b>147.72</b>

- 1 विश्राम भवनों के लिये नोडल अधिकारी संबंधित विश्राम भवन के प्रबन्धक है। अतः विश्राम भवनों हेतु आवंटित राशि के कार्यों के लिये संबंधित विश्राम भवन प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार उनकी सहमति से राशि का व्यय उसी विश्राम भवन पर किया जावे।
- 2 विश्राम भवनों में गत वर्ष किये गये कार्यों पर व्यय का विवरण एवं इस वर्ष के व्यय के विवरण भवनवार एवं कार्यवार संबंधित विश्राम भवन के प्रबन्धक को एवं इस विभाग को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जावे।
- 3 आवासीय भवनों के मरम्मत/संधारण का कार्य इस विभाग द्वारा जारी नीति एवं निर्देशों के अनुसार किया जावे।
- 4 व्यय में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 की पालना की जावे तथा उक्त कार्य के लिये किये जाने वाले व्यय हेतु समस्त नियम, निर्देश एवं सुस्थापित प्रक्रिया की अक्षरक्षः पालना किया जाना सुनिश्चित करें।


भवदीय

Sd-

(महेन्द्र कुमार खींची)  
उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस , नई दिल्ली।
- 2 संभागीय आयुक्त, मिनी सचिवालय, जयपुर
- 3 समस्त जिला कलक्टर।
- 4 अधीक्षण अभियन्ता (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
- 5 समस्त संबंधित अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रेषित कर लेख है कि गत वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित भवनवार बजट का कार्यवार व्यय विवरण भी अविलम्ब प्रस्तुत किया जावे।
- 6 समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान।
- 7 प्रबन्धक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस नई दिल्ली
- 8 प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधी नगर, जयपुर।
- 9 रक्षित पत्रावली



(महेन्द्र कुमार खींची)  
उप शासन सचिव (क)